Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SURAJGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 08-09-2023 5:41 PM

Fee Receipt No	:	202302452003498	Receipt Date		08/09/2023
Name	:	SHRI RAMESHWAR LAL SHARMA GRAMIN VIKAS AND ANUSANDHAN SANSTHAN JARIYE SACHIV LEELA SHARMA,	Document S. No.		202301452003484
Address	:	0 ,BRAHMANO KI DHANI ,BRAHMANO KI DHANI ,			
Document Type	:	Lease Deed Free Hold			
Face Value	:	₹ 392896	Evaluated Value	:	₹ 52217992

Ord-Registration Fee	:	₹ 3930	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 5895	Stamp Duty	:	₹ 19650
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 29675**
			Total Amount	:	**₹ 29675**

कार्यालय उप पंजीयक ... जिला झुन्झुनूं (राज.)

उप पंजीयक
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उपकोषाधिकारी

रु. 100

03 AUG 2023

सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

राजस्थान RAJASTHAN

BP 325139

भूमि पट्टा विलेख

पट्टा विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थागत

मैं श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार–फाउण्डेशन) कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा उम्र 51 वर्ष जाति ब्राह्मण पेशा अध्यापन निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) पोस्ट पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान की रहने वाली हूं।

यह कि पेरा फेरी ग्राम अडूका (अडूका–चिड़ावा) में भूमि खसरा नम्बर 569 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में से एक संस्थागत भूखण्ड संख्या पार्ट बी जिसकी उत्तरी भुजा 406 फुट, दक्षिणी भुजा 238 फुट 9 इंच व 161 फुट 4 इंच, पूर्वी भुजा 58 फुट 9 इंच व 90 फुट तथा पश्चिमी भुजा 135 फुट है। उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 3791.00 वर्ग मीटर है। उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड के उत्तर में भूखण्ड संख्या पार्ट ए, दक्षिण में रोड़ बाउण्ड्री (सड़क), पूर्व में रास्ता (RB 41 Fitt) तथा पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 731/569 है। उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड का नक्शा संलग्न है जिसमें उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड की समस्त भुजाओ का नाप व चतुर्थ सीमा अंकित है। नगरपालिका चिड़ावा ने 392896/–रुपये प्राप्त कर, उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड का पट्टा दिनांक–01.09.2023 को श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार–फाउण्डेशन) कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) पोस्ट पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान के नाम से जारी किया है जिसका पट्टा कमांक 2067 है। उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड पर श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं

—2

उप पंजीयक

सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

कार्यालय उपकोषाधिकारी
रु. 100
03 AUG 2023
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

राजस्थान RAJASTHAN

BP 325140

अनुसंधान संस्थान (राडार–फाउण्डेशन) कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) पोस्ट पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। उक्त वर्णित संस्थागत भूखण्ड का श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार–फाउण्डेशन) कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) पोस्ट पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान एकमात्र मालिक हैं तथा काबिज है।

अतः यह भूमि पट्टा विलेख मैंने पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव व बहकावे में आये स्टाम्पस रुपये 100,100 = 200/–के पर लिखवा कर पढ़ा सुन व समझ कर अपने हस्ताक्षर/अ0नि0 गवाहों के समक्ष कर पंजिबद्ध करवा दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे। दिनांक–08.09.2023

नोटः–इस लेख पत्र में 32. लाईन है।

डीडराईटर सुनील कुमार शर्मा ला.नं. 24/2012

ह. डीड.

साक्षी

1.
राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वरलाल शर्मा
उम्र 52 वर्ष जाति ब्राह्मण पेशा व्यापार निवासी
ब्राह्मणों की ढ़ाणी पोस्ट पिचानवा तहसील सूरजगढ़
जिला झुन्झुनू राजस्थान

2.
विशाल शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा उम्र 33 वर्ष
जाति ब्राह्मण पेशा कृषि निवासी सेहीकलां
तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

हस्ताक्षर/अ0नि0 पट्टेदार

उप पंजीयक
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

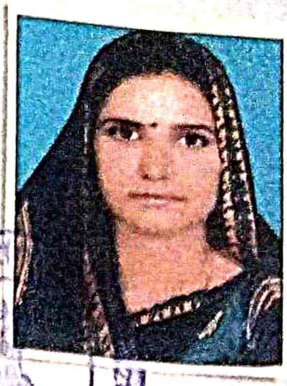

कार्यालय नगरपालिका, चिड़ावा

पट्टा–विलेख (फ्री होल्ड)

संस्थागत

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम , 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 2067

दिनांक : 01.09.2023

पट्टा धारक का नाम ......———...... पुत्र ......———......

पत्नी ......———...... पति ......———......

निवासी ......———......

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार–फाउण्डेशन) कार्यालय पता ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका) जरिये सचिव, लीला शर्मा (पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री लीला शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजकुमार शर्मा निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी (अडूका), पोस्ट – पिचानवा, तहसील– सुरजगढ़, जिला – झुंझुनूं .... भूखण्ड सं. **Part-B** क्षेत्रफल 3791.00 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ....अडूका (पैराफैरी – चिड़ावा)..........खसरा सं. ....569.................. योजना – ले–आऊट प्लान ऑफ साईट INSTITUTIONAL LAND CONVERSION में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक....................................को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

अध्यक्ष
नगरपालिका,चिड़ावा
नगर पालिका चिड़ावा

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका,चिड़ावा
नगरपालिका चिड़ावा

शामिल रहे
उप पंजीयक सूरजगढ़

नोट– शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- **Registered and Endorsement Attached**

कार्यालय उप पंजीयक सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 08 माह 09 सन् 2023 को 05:30 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI RAMESHWAR LAL SHARMA GRAMIN VIKAS AND ANUSANDHAN SANSTHAN JARIYE SACHIV LEELA SHARMA
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAJKUMAR SHARMA
उम्र 51 वर्ष, जाति 0-BRAHMAN , व्यवसाय Other
निवासी House No.:0, Colony: BRAHMANO KI DHANI, Area: BRAHMANO KI DHANI, City: BRAHMANO KI DHANI, Pin code: 333026, District: , State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202301452003484

Lease Deed Free Hold

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302452003498
दिनांक	08-09-2023
पंजीयन शुल्क ₹	3930
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	19650
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	5895
कुल योग	29675

202301452003484

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 80389177 ₹ 29675

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SHRI RAMESHWAR LAL SHARMA GRAMIN VIKAS AND ANUSANDHAN SANSTHAN JARIYE SACHIV LEELA SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAJKUMAR SHARMA, व्यवसाय Otherजाति 0-BRAHMAN House No.:0, Colony: BRAHMANO KI DHANI, Area: BRAHMANO KI DHANI, City: BRAHMANO KI DHANI, Pin code: 333026, District: , State: RAJASTHAN			Executant Age : 51 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed Free Hold को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 392896/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रू 392896/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAJ KUMAR SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMESHWAR LAL SHARMA जाति BRAHMAN Age: 52 Add: House No.:0, Colony: BRAHMANO KI DHANI, Area: BRAHMANO KI DHANI, City: BRAHMANO KI DHANI, Pin code: 333026, District: , State: RAJASTHAN		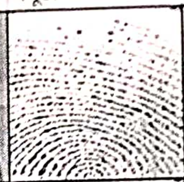	Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री VISHAL SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SUBHASH SHARMA जाति BRAHMAN Age: 33 Add: House No.:0, Colony: SEHIKALAN, Area: SEHIKALAN, City: SEHIKALAN, Pin code: 333026, District: , State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

202301452003484

Lease Deed Free Hold

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 52217992 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 19650 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 3930, सरचार्ज राशि 5895 कुल रु 29475 रसीद संख्या 202302452003498 दिनांक 08-09-2023 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 19650 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301452003484

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, SURAJGARH

सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

Registration Endorsement

आज दिनांक 08/09/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 405 में
पृष्ठ संख्या 88 क्रम संख्या 202303452101824 पर पंजीवद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1336 के
पृष्ठ संख्या 9 से 16 पर चस्पा किया गया।

202301452003484

Lease Deed Free Hold

उप पंजीयक, SURAJGARH

उप पंजीयक
सूरजगढ़ (झुन्झुनूं)

156
79

(3)

नम्बर रसीद संख्या.................. 3303

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्रीमती मेवटीदेवी w/o
2. लेख्य-पत्र की किस्म । विक्रयपत्र .. रणवीरसिंह, जाति ...
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई .. नि० अ३२०5 ।..
4. प्रतिफल की रकम .. .. .. रुपये पैसे

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री 50000

(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..300

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ..

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 470 194360

ग. विविध फीस : 10% surcharge cess - 29440

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस ..

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. .. ..

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ..

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ..

(6) संरक्षण फीस .. .. ..

(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस ..

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ..

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

दोलाख चौहत्तर हजार एक सौ योग फीस 274100/2

फीस के प्राप्त होने की तारीख 18/3/2011. .. ..

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख .. .. ..

उप पंजीयक

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

भारत [illegible] यिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

1118
18.3.11

128145

मालियत—50,00,000 / —रूपये

स्टाम्प ड्यूटी—100000 / —रूपये

विक्रय—पत्र

यह विक्रय—पत्र आज दिनांक 18—03—2011 को श्रीमती भतेरी देवी पत्नी श्री रणवीर सिहं सांगवान उम्र 56 वर्ष जाति जाट पेशा गृहकार्य निवासी अड़ूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जिसे आगे विकेत्री कहा गया है एवं जो इस विकय—पत्र की प्रथम पक्षकार है ।

एवं

श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार फाउन्डेशन) ब्राह्मणों की ढ़ाणी तन अड़ूका पोस्ट पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी तन अड़ूका पोस्ट पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जिसे आगे क्रेत्री कहा गया हैं एवं जो इस विक्रय—पत्र की द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया गया है ।

Leela

अ.नि. भतेरी देवी

उप पंजियक
सूरजगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

128146

यह कि पैरा फेरी ग्राम अडूका मे विक्रेत्री प्रथम पक्षकार का एक पट्टे सुदा शैक्षणिक संस्था भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1475.05 वर्ग गज यानि 1233.29 वर्ग मीटर स्थित है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड का पट्टा नगरपालिका चिड़ावा ने दिनांक 18.05.2007 को विक्रेत्री प्रथम पक्षकार के नाम से जारी किया है जिसका पट्टा संख्या 562 है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड की उत्तरी भुजा 100.6 1/2 फुट, दक्षिणी भुजा 158.9 फुट, पूर्वी भुजा 77.03 फुट तथा पश्चिमी भुजा 90 फुट है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1475.05 वर्ग गज यानि 1233.29 वर्ग मीटर है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड के उत्तर मे खसरा नं. 569/1 की भूमि, दक्षिण मे रोड़ लाखू से चौहानो की ढ़ाणी, पूर्व मे रोड़ लाखू से चौहानो की ढ़ाणी तथा पश्चिम मे खसरा नं. 569/1 की भूमि है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड का नक्शा संलग्न है जिसमे उक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था भूखण्ड व इसमे बने मकानात का सम्पूर्ण विवरण दर्ज है। उक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था भूखण्ड पर विक्रेत्री प्रथम पक्षकार का ही कब्जा स्वामित्व अधिकार है। विक्रेत्री प्रथम पक्षकार को अपना उक्त वर्णित पट्टे सुदा शैक्षणिक संस्था भूखण्ड को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

उप पंजियक
सूरजगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

128147

यह कि विक्रेत्री प्रथम पक्षकार को अपनी घरू जरूरत जायज के लिये रुपयो की आवश्यकता होने पर विक्रेत्री प्रथम पक्षकार ने अपना उक्त वर्णित पट्टे सुदा शैक्षणिक संस्था भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1475.05 वर्ग गज यानि 1233.29 वर्ग मीटर मय मकानात को सर्वाधिक मूल्य 50,00,000/—अंकेही पचास लाख रुपये मे क्रेत्री द्वितीय पक्षकार श्री रामेश्वरलाल शर्मा ग्रामीण विकास एवं अनुसंधान संस्थान (राडार फाउन्डेशन) ब्राह्मणों की ढ़ाणी तन अडूका पोस्ट पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान जरिये सचिव श्रीमती लीला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढ़ाणी तन अडूका पोस्ट पिचानवा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान को विक्रय कर, विक्रय मूल्य की चूकती रकम जरिये चैक नम्बर 201634 रुपये 5,00,000/—दिनांक 01.12.10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा, चैक नम्बर 201639 रुपये 35,00,000/—दिनांक 14.03.11 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा, चैक नम्बर 201640 रुपये 10,00,000/—दिनांक 14.03.11 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा पर देय प्राप्त कर, उक्त विक्रय किये गये शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात का भौतिक कब्जा क्रेत्री द्वितीय पक्षकार का करवा दिया है। अब क्रेत्री द्वितीय पक्षकार को अधिकार है कि वह उक्त क्रय किये गये शैक्षणिक संस्था भूखण्ड को सम्बधिंत विभाग मे अपने नाम से दर्ज करवा लेवे। उक्त शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात पर से विक्रेत्री प्रथम पक्षकार ने अपना कब्जा स्वामित्व अधिकार हटाकर, क्रेत्री द्वितीय पक्षकार का करवा दिया है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात पर जो मालिकाना अधिकार आज तक विक्रेत्री प्रथम पक्षकार को प्राप्त थे वे समस्त अधिकार अब उक्त क्रेत्री द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हो गये है ।

उप पंजियक
सूरजगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

128148

यह कि हस्तान्तरित किया जाने वाला शैक्षणिक संस्था भूखण्ड सड़क पर स्थित है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मे 733.83 वर्ग गज मे निर्माण किया हुआ है। इस शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही है ।

यह कि उक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मे विक्रेत्री प्रथम पक्षकार के नाम से दो विद्युत कनेक्शन (एक थ्री फेस व एक सिंगल फेस) है जो क्रेत्री सम्बधिंत विभाग मे अपने नाम से ट्रान्सफर करवा लेवे। इसमे विक्रेत्री प्रथम पक्षकार को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी ।

यह कि विक्रेत्री प्रथम पक्षकार ने अपना उक्त वर्णित पट्टे सुदा शैक्षणिक संस्था भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1475.05 वर्ग गज यानि 1233.29 वर्ग मीटर मय मकानात को अपने वैद्य अधिकारो सहित पूर्ण रूप से पाक एंव पवित्र विक्रय किया है। यह शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात पूर्व में किसी के रहन अथवा बय नही है तथा ना किसी सरकारी इजराय डिग्री मे निलाम अथवा कुर्क है तथा समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त है फिर भी विक्रेत्री प्रथम पक्षकार के मौजूदा अधिकारो की कमी से भविष्य मे उक्त विकय किया गया शैक्षणिक संस्था भूखण्ड मय मकानात कब्जे क्रेत्री द्वितीय पक्षकार से निकल जावे तो क्रेत्री द्वितीय पक्षकार को अधिकार होगा कि वह अपना दिया उक्त धन व ब्याज मय हर्जा खर्चा विक्रय–पत्र विक्रेत्री प्रथम पक्षकार से वसूल कर लेवे, इसमे विक्रेत्री प्रथम पक्षकार या विक्रेत्री प्रथम पक्षकार के वारिसान को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी ।

उप पंजियक
सूरजगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NO

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

128149

अतः यह विक्रय–पत्र हमने हमारी स्वेच्छा से पूर्ण होश हवास मे बिना किसी दबाब व बहकाव में आये स्टाम्पस रूपये 20000,20000,20000,20000,20000 = 100000/–के पर लिखवा कर पढ़ा सुन व समझ कर अपने हस्ताक्षर गवाहो के समक्ष कर पंजिबद्ध करवा दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

दिनांक 18–03–2011

नोट–इस लेख पत्र में 71 लाईन है ।

डीडराइटर अरूण कुमार शर्मा ला. नं. 40/5/2 रेव./85

ह 0 डी0

साक्षीः–1.

बंशीधर शर्मा पुत्र श्री भगवान दत्त शर्मा उम्र 46 वर्ष जाति ब्राह्मण पेशा कृषि निवासी ब्राह्मणो की ढ़ाणी तन अड़ूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान

हस्ताक्षर विक्रेत्री प्रथम पक्षकार

2.

हस्ताक्षर क्रेत्री द्वितीय पक्षकार

रणवीर सिहं सांगवान पुत्र श्री केदाराराम उम्र 64 वर्ष जाति जाट पेशा सेवानिवृत निवासी चन्देनी तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा हाल आबाद अड़ूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान

क्र. सं. [illegible]

नगरपालिका चिड़ावा

पत्रावली संख्या 626

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख आवासीय [illegible]

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु () [illegible]

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 18-5-2007 को आवंटन/विक्रय पत्र सं. 562 सन 2007 का राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है, [illegible] तथा दूसरी ओर श्री/श्रीमती [illegible] पुत्र/पत्नि श्री [illegible] सिंह [illegible] जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी [illegible] (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर संबोधित किया गया है और इस इकरार में जहां [illegible] संदर्भ से ऐसा अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और मुख्तयार आदि भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

[illegible] रुपये 14751/- अक्षरे [illegible] रुपये [illegible] पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे के ऐवज में सरकार इसके अन्य पट्टेदार [illegible] जमीन का वह तमाम प्लाट जो इसके बाद उक्त भू खण्ड कह कर संबोधित किया गया है नियमन और पुनः आवंटित करती है जो [illegible] - 569/ योजना में स्थित है और जो अपनी [illegible] और क्षेत्रफल के साथ उसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपमें वर्णित है तथ जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व सहित [illegible] किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. (क) पट्टेदार, नगर पालिका चिड़ावा के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में आरक्षित दर ____ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि 14751/- रुपये की 2.5 की दर से शहरी जमा बन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी।
   (ख) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प- 5 -2 न.वि. 13/99 दिनांक 15-11-99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि 14751/- रुपये की 2.5 प्रति वर्ष की दर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्तित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उन तारीखों से जो [illegible] समय मालगुजारी के बकाया की वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया है, वसूली करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन अनुसार ही करना होगा। आवासीय भूखण्ड का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक प-प-(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि भूखण्ड 500 वर्ग मीटर तक का रिक्त है तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साईट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि भूखण्ड 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण पालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार। जीवन बीमा निगम। शिड्यूल्ड बैंक। सरकारी ऋण दायी संस्था। एच डी एफ सी अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदायी संस्थाओं के पास भवन निर्माण के लिए ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
8. [illegible] उक्त भूखण्ड का [illegible] नगर पालिका चिड़ावा के नियमों के अनुसार पालिका से [illegible] होगा।
9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के अलावा है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो न तो उपयोग में लायेगा और न उपयोग में लेने की अनुमति ही देगा।
10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बन हुए भवन/दुकान यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि 14751/- रू. प्रति वर्ग गज की पंजीकृत मूल्य राशि रू. ____ होती है। अतएव स्टाम्प नं. ____ से ____ बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है। [illegible] 7376 - [illegible] 2127

भूखण्ड की चतुसीमा क्षेत्रफल - [illegible]

[illegible] पश्चिम [illegible] 569/ पूर्वी भुजा 77-03" पश्चिमी भुजा 90-0" { स्थल मान चित्र संलग्न } 1475-0 वर्ग गज (1233-25 वर्ग मीटर)

उत्तर [illegible] 569/ दक्षिण [illegible] उत्तरी भुजा 105-6" दक्षिणी भुजा 158-9"

इसके साक्षी रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

पट्टा विलेख आज दिनांक 18 माह मई सन 2007 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चिड़ावा

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चिड़ावा

अध्यक्ष 18/5
नगर पालिका चिड़ावा
नगर पालिका चिड़ावा

ह. खरीददार/आंवटी

साक्षी :-

1. नाम [illegible] सिंह
पिता/पति का नाम [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible] 18

2. नाम [illegible]
पिता/पति का नाम [illegible]
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान [illegible] 18 [illegible]

आज दिनांक 18-5-2007 को
निम्नलिखित की उपस्थिति में श्री/श्रीमती [illegible] सिंह [illegible]
अधिशाषी द्वारा कार्यालय नगरपालिका चिड़ावा में हस्ताक्षर किये गये।

ह. साक्षी

साक्षी प्रथम के हस्ताक्षर

साक्षी द्वितिय के हस्ताक्षर